मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail: msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135—2607092

पत्रांक — यूईपीपीसीबी / एच.ओ. / Gen-625/1039 दिनांक 20.09.2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका गठन भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन हुआ है। राज्य बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है। रिक्त पदों एवं शैक्षिक अर्हता पदों का विवरण निम्नवत हैः—

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पदों का विवरण	वेतनमान लेवल	अर्हता
01	अवर अभियंता	सामान्य—04, महिला—02, अनुसूचित जाति—03, अन्य पिछड़ा वर्ग—01, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी—01, कुल—11	लेवल—6 (₹35400—112400)	जन स्वास्थ्य/ सिविल/ रसायन/ पर्यावरण अभियांत्रिकी में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा।
02	सहायक पर्यावरण अभियंता	सामान्य—02, कुल—02	लेवल—10 (₹56100—177500)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन अभियांत्रिकी/रसायन प्रौद्योगिकी/सिविल अभियांत्रिकी/ पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
03	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	सामान्य—02, महिला—01, अनुसूचित जाति—01, कुल—04	लेवल—10 (₹56100—177500)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान /जैव रसायनिकी में डाक्टरेट उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हत के साथ पर्यावरण /प्रदूषण नियंत्रण/जन—स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का कार्य अनुभव, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण/जल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पांच वर्ष का कार्य अनुभव।

1. अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथाविहित अभिप्रेत है। आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को आधार रखते हुए की जायेगी।
2. इच्छुक अभ्यार्थी निर्धारित प्रारूप पर जो कि राज्य बोर्ड की **Website:- ukpcb.uk.gov.in** पर उपलब्ध है को डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में भरते हुए दिनांक 23.10.2025 तक बोर्ड मुख्यालय में पंजीकृत डाक / कोरियर / व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा सकते हैं।
3. अभ्यर्थी को परीक्षा (लिखित / मौखिक) आदि का पूर्ण विवरण राज्य बोर्ड की वेबसाइट पर उल्लिखित है, अतः उसका भलिभांति अध्ययन कर लें।
4. उपरोक्त अध्याचन की प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार बोर्ड के पास आरक्षित है।
5. साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यार्थियों को उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner